भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 973
दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र

973. श्री अरविंद धर्मापुरीः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्यरत प्रवासी भारतीय सहायता केंद्रों (पीबीएसके) की देश-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) पीबीएसके को देश-वार कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है तथा प्रवास से पूर्व, विशेष रूप से खाड़ी देशों में, श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार विदेश में फंसे और बाद में स्वदेश वापस लाए गए कुल भारतीयों की संख्या का डेटाबेस रखती है और यदि हाँ, तो स्वदेश प्रत्यावर्तन के कारणों सहित इसका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) और (ख) विदेशों में चार कार्यशील प्रवासी भारतीय सेवा केंद्र (पीबीएसके) हैं - कुआलालंपुर (मलेशिया), दुबई (यूएई), जेद्दा और रियाद (सऊदी अरब)। विदेशी पीबीएसके के अलावा, दिल्ली में एक पीबीएसके तथा कोच्चि, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, पटना और चंडीगढ़ में छह क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय सेवा केंद्र (केपीबीएसके) हैं।

विदेशों में पीबीएसके के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं/सहायता पर होने वाला व्यय भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) से वहन किया जाता है और यह आईसीडब्ल्यूएफ के उपयोग संबंधी दिशानिदेशों के अनुसार साधन-परीक्षण के आधार पर किया जाता है। विदेशों में पीबीएसके के लिए कोई विशिष्ट बजट या धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

भारत में पीबीएसके और केपीबीएसके के मामले में, पिछले वर्ष निधि आवंटन और उपयोग की राशि नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	आवंटित धनराशि (रुपए में)	किया गया व्यय (भारतीय रुपए में)
2024-25	2.19 करोड़	2.11 करोड़

विदेशों में पीबीएसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का राष्ट्र-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	पीबीएसके	मुख्य सेवाएँ

1.	कुआला लंपुर, (मलेशिया)	• भारतीय श्रमिकों की शिकायतों का समाधान • भारतीय बंदियों को कोंसली सहायता • मृत्यु संबंधी क्षतिपूर्ति • चिकित्सा मामलों में सहायता • संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता • वित्तीय सहायता • अधिक समय तक रुके भारतीयों का नियमितीकरण
2.	दुबई (यूएई)	• नौकरी प्रस्ताव पत्र, रोजगार अनुबंध और वीज़ा के सत्यापन से संबंधित सहायता • वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता • 24*7 हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र
3.	जेद्दा, (सऊदी अरब)	• सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए 24*7 हेल्प डेस्क सेवाएं • अंतिम निकास, मृत्यु संबंधी मामलों और क्षतिपूर्ति संबंधी मामलों आदि से संबंधित सभी दस्तावेजों को एकत्रित करना और उन पर कार्यवाई करना। • यह भारतीय श्रमिकों को विभिन्न फॉर्म और आवेदन भरने में सहायता करता है
4.	रियाद (सऊदी अरब)	• सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए 24*7

		हेल्प डेस्क सेवाएं • अंतिम निकास, मृत्यु संबंधी मामलों और क्षतिपूर्ति संबंधी मामलों आदि से संबंधित सभी दस्तावेजों को एकत्रित करना और उन पर कार्यवाई करना। • यह भारतीय श्रमिकों को विभिन्न फॉर्म और आवेदन भरने में सहायता करता है

भारत सरकार विदेश में काम करने के इच्छुक भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उनकी भर्ती की प्रक्रिया एक वेब-आधारित एप्लिकेशन अर्थात ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है। यह वेब-आधारित एप्लिकेशन प्रवासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, वैध, मानवीय, कुशल, सुविधाजनक और तीव्र बनाता है। यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा मंच पर लाता है और विदेश मंत्रालय को व्यापक और ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने में सक्षम बनाता है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/समस्या के समाधान में सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। फर्जी नौकरी प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अपंजीकृत भर्ती एजेंसियों के बारे में सलाह/अलर्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी कई पहल की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके

कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उनके काम करने और रहने की अच्छी स्थिति हो, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच हो। पीडीओटी का उद्देश्य गंतव्य देश की संस्कृति, भाषा, परंपरा और स्थानीय नियमों व विनियमों के संदर्भ में भारतीय प्रवासी कामगारों के कौशल को बढ़ाना है।

इसके अलावा, ईसीआर श्रेणी की महिला कामगारों (घरेलू क्षेत्र के कामगारों सहित) जो अक्सर सबसे असुरक्षित श्रेणी में आती हैं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से खाड़ी और अन्य ईसीआर श्रेणी के देशों में विदेशी रोज़गार के लिए भारतीय महिला ईसीआर श्रेणी के कामगारों की भर्ती करने के लिए केवल राज्य द्वारा संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को अधिकृत किया है। इसके अलावा, ईसीआर श्रेणी की पासपोर्ट धारक और रोज़गार के उद्देश्य से विदेश यात्रा करने वाली महिला कामगारों के लिए न्यूनतम आयु मानदंड 30 वर्ष है, ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके।

(ग) प्रत्यावर्तन के विभिन्न कारण हैं, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ, वेतन का भुगतान न होना, नियोक्ता द्वारा आपातकालीन अवकाश देने से इनकार करना, नियोक्ता द्वारा पासपोर्ट जबरन अपने पास रखना, लंबे कार्य घंटे, वीज़ा मानदंडों का उल्लंघन आदि शामिल हैं। जब भी विदेश स्थित भारतीय मिशनों को विभिन्न कारणों से फंसे हुए भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो स्थानीय प्राधिकारियों के समन्वय से ऐसे व्यक्तियों को भारत वापस लाने का प्रयास किया जाता है। विदेश स्थित भारतीय मिशन ऐसे भारतीय नागरिकों को

निःशुल्क आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करके उनकी वापसी की सुविधा प्रदान करते हैं ।

पिछले पांच वर्षों में भारत सरकार के विभिन्न अभियानों के तहत निकाले गए भारतीय नागरिकों का डाटा अनुबंध 'क ' में दिया गया है।

अनुबंध क

<u>फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने का ऑपरेशन-वार विवरण</u>

वर्ष	ऑपरेशन का देश और नाम	निकाले गए लोगों की कुल संख्या (विदेशी नागरिकों सहित)
2021	अफ़ग़ानिस्तान ऑपरेशन *देवी शक्ति*	669 (15 अन्य विदेशी नागरिक और 206 अफगान नागरिक, जिनमें अफगान हिंदू/सिख अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं)
2022	यूक्रेन ऑपरेशन *गंगा*	18,282
2023	सूडान	4,097 (136 विदेशी नागरिकों सहित)

	ऑपरेशन *कावेरी*	
2023	इज़राइल ऑपरेशन *अजय*	1,343 (14 ओसीआई कार्ड धारक और 20 विदेशी नागरिक सहित)
2024	हैती ऑपरेशन *इंद्रावती*	17
2024	सीरिया	77
2025	ईरान ऑपरेशन *सिंधु*	3597
2025	इज़राइल ऑपरेशन *सिंधु*	818

<u>ऑपरेशन गंगा के तहत निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची</u>

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1	अंडमान और निकोबार	4
2	आंध्र प्रदेश	682
3	अरुणाचल प्रदेश	1
4	असम	53

5	बिहार	1003
6	चंडीगढ़	52
7	छत्तीसगढ	210
8	दादर और नगर हवेली	5
9	दमन और दीव	5
10	दिल्ली	681
11	गोवा	18
12	गुजरात	1020
13	हरियाणा	1436
14	हिमाचल प्रदेश	289
15	जम्मू और कश्मीर	128
16	झारखंड	158
17	कर्नाटक	615
18	केरल	3343
19	लक्षद्वीप	4
20	मध्य प्रदेश	412
21	महाराष्ट्र	1025
22	मणिपुर	23

23	मेघालय	40
24	मिजोरम	1
25	नगालैंड	4
26	ओडिशा	397
27	पुदुचेरी	28
28	पंजाब	609
29	राजस्थान	934
30	सिक्किम	26
31	तमिलनाडु	1479
32	तेलंगाना	667
33	त्रिपुरा	32
34	उत्तर प्रदेश	1917
35	उत्तराखंड	257
36	पश्चिम बंगाल	343
37	राज्य का नाम उपलब्ध नहीं है	272
	कुल	**18282**

ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	106
2.	असम	13
3.	बिहार	370
4.	चंडीगढ़	1
5.	छत्तीसगढ	3
6.	दिल्ली	27
7.	गुजरात	492
8.	हरियाणा	39
9.	हिमाचल प्रदेश	25
10.	जम्मू और कश्मीर	1
11।	झारखंड	62
12.	कर्नाटक	418
13.	केरल	172
14.	मध्य प्रदेश	20
15.	महाराष्ट्र	337
16.	मणिपुर	1

17.	नगालैंड	3
18.	ओडिशा	86
19.	पंजाब	62
20.	पुदुचेरी	7
21.	राजस्थान	87
22.	तमिलनाडु	244
23.	तेलंगाना	129
24.	उत्तर प्रदेश	800
25.	उत्तराखंड	24
26.	पश्चिम बंगाल	52
27.	राज्य का नाम उपलब्ध नहीं है	380
28.	कुल भारतीय नागरिक	3961
29.	विदेशी नागरिक (ब्रिटिश- 3 + सूडानी-124 + नेपाली-9)	136
30.	कुल योग (3961 + 136)	4097

<u>ऑपरेशन अजय के तहत निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची</u>

क्रम सं.	राज्य	संख्या

1.	आंध्र प्रदेश	45
2.	असम	20
3.	बिहार	29
4.	छत्तीसगढ़	6
5.	दिल्ली	36
6.	गोवा	3
7.	गुजरात	34
8.	हरियाणा	28
9.	हिमाचल प्रदेश	18
10.	जम्मू और कश्मीर	9
11।	झारखंड	13
12.	कर्नाटक	39
13.	केरल	121
14.	मध्य प्रदेश	14
15.	महाराष्ट्र	108
16.	मणिपुर	23
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	1

19.	नगालैंड	2
20.	ओडिशा	20
21.	पंजाब	9
22.	राजस्थान	33
23.	सिक्किम	11
24.	तमिलनाडु	131
25.	तेलंगाना	70
26.	उत्तर प्रदेश	145
27.	उत्तराखंड	14
28.	पश्चिम बंगाल	248
29.	राज्यों का उल्लेख नहीं	77
	कुल भारतीय नागरिक	*1309*
	ओसीआई कार्ड धारक (14) और नेपाली (20)	34
	कुल योग **(1**309 + 34)	1343

<u>ऑपरेशन इंद्रावती के तहत निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची</u>

क्रम सं.	राज्य	संख्या
1	मध्य प्रदेश	1
2	गुजरात	1
3	महाराष्ट्र	1
4	कर्नाटक	2
5	तमिलनाडु	3
6	उत्तर प्रदेश	1
7	तेलंगाना	1
8	नई दिल्ली	1
9	केरल	1
10	ओडिशा	1
11	अपंजीकृत	4
	कुल	**17**

<u>सीरिया से निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची</u>

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निकाले गए लोगों की संख्या
01	जम्मू और कश्मीर	45
02	बिहार	08

03	उत्तर प्रदेश	06
04	आंध्र प्रदेश	05
05	तमिलनाडु	05
06	ओडिशा	01
07	राजस्थान	01
08	असम	01
09	हरियाणा	01
10	पंजाब	01
11	पश्चिम बंगाल	01
12	केरल	01
13	पुदुचेरी (यूटी)	01
कुल		**77**

ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नागरिकों की संख्या
उत्तर प्रदेश	1198
जम्मू और कश्मीर	1521
लद्दाख	223
कर्नाटक	135

दिल्ली	114
महाराष्ट्र	89
तमिलनाडु	71
गुजरात	56
बिहार	50
तेलंगाना	31
केरल	21
आंध्र प्रदेश	26
मध्य प्रदेश	15
पश्चिम बंगाल	13
हरियाणा	8
राजस्थान	6
उत्तराखंड	4
झारखंड	3
पंजाब	10
छत्तीसगढ़	2
ओडिशा	1
कुल	**3597**

ऑपरेशन सिंधु के तहत इज़राइल से निकाले गए भारतीय नागरिकों की राज्यवार सूची

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	नागरिकों की संख्या
आंध्र प्रदेश	50
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	3
बिहार	30
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ	2
दिल्ली	39
गोवा	2
गुजरात	32
हरियाणा	21
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू और कश्मीर	6
झारखंड	7
कर्नाटक	32
केरल	62
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	93

मणिपुर	2
ओडिशा	16
पुदुचेरी	5
पंजाब	8
राजस्थान	25
रांची	2
सिक्किम	2
तमिलनाडु	74
तेलंगाना	37
उत्तर प्रदेश	92
उत्तराखंड	12
पश्चिम बंगाल	151
कुल	818

*****